

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

विद्यानन्द जमादार
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय : डा० प्रियंका रानी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री एवं प्रसूति), अनुमंडलीय अस्पताल, पटोरी, समस्तीपुर का दिनांक-25.07.2023 से 18.03.2024 तक अवधि के विनियमन के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या-1533(2), दिनांक-18.11.2021 द्वारा डा० प्रियंका रानी को विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग) के पद पर नियुक्ति करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नागरा, सारण में पदस्थापित किया गया। डा० रानी द्वारा उक्त अधिसूचना के आलोक में दिनांक-08.12.2021 योगदान समर्पित किया गया। नियुक्ति के पूर्व से ही डा० रानी टेन्योर पर नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बिहटा, पटना में सीनियर रेजिडेंट के पद पर पदस्थापित थी। उक्त अधिसूचना की कड़िका-15 के आलोक में टेन्योर अवधि पूरा करने हेतु सिविल सर्जन, सारण, छपरा के ज्ञापाक-3105, दिनांक-08.12.2021 द्वारा विरमित हो गयी। टेन्योर समाप्ति के उपरान्त प्राचार्य, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बिहटा, पटना के पत्राक-NSMCI/PRI/FAC/W.E/54/2023, दिनांक-24.07.2023 द्वारा डा० रानी को विरमित कर दिया गया। उक्त आलोक में डा० रानी के द्वारा दिनांक-25.07.2023 के पूर्वाह्न में पदस्थापन की प्रतीक्षा में विभाग में योगदान समर्पित किया गया। तत्पश्चात विभागीय अधिसूचना सं०-356(2), दिनांक-15.03.2024 के द्वारा डा० रानी का पदस्थापन अनुमंडलीय अस्पताल, पटोरी, समस्तीपुर में किया गया। उक्त आलोक में डा० रानी के द्वारा सिविल सर्जन, समस्तीपुर के कार्यालय में दिनांक-18.03.2024 को पूर्वाह्न में योगदान करने के उपरान्त सिविल सर्जन, समस्तीपुर के ज्ञापाक-981, दिनांक-18.03.2024 के आलोक में अनुमंडलीय अस्पताल, पटोरी, समस्तीपुर में दिनांक-19.03.2024 के पूर्वाह्न में प्रभार ग्रहण किया गया। इसप्रकार डा० रानी का अविनियमित अवधि दिनांक-25.07.2023 से 18.03.2024 तक है। डा० रानी के द्वारा पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि में दिनांक-25.07.2023 से 15.03.2024 तक उपस्थिति दर्ज किया गया।

अतः वर्णित स्थिति में डा० प्रियंका रानी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री एवं प्रसूति), अनुमंडलीय अस्पताल, पटोरी, समस्तीपुर के दिनांक-25.07.2023 से 18.03.2024 तक के प्रभार रहित अवधि को निम्नांकित रूप में विनियमित किया जाता है:-

1	दिनांक-25.07.2023 से 15.03.2024 तक	- पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग)।
2	दिनांक-16.03.2024 से 17.03.2024 तक	- असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-180 के आलोक में)
3	दिनांक-18.03.2024	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (सिविल सर्जन कार्यालय समस्तीपुर में)।

2 प्रस्ताव में वित्त विभाग, बिहार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(विद्यानन्द जमादार)

ज्ञापांक- 2/वि०चि०पदा०-19/2025- 94.3/2 पटना, दिनांक 5/6/2025

प्रतिलिपि : महालेखाकर (ले० एव ह०) बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, समस्तीपुर/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, पटोरी, समस्तीपुर /कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर/डा० प्रियका रानी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री एव प्रसूति), अनुमंडलीय अस्पताल, पटोरी, समस्तीपुर/प्रशाखा-3, 9 एव 18A को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

१५